239

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0सिंह

सदस्य

(1) निगरानी प्रकरण क्रमांक 1515–तीन/2009– विरूद्ध आदेश दिनॉक 30–7–2009 –पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 18/2008–09 निगरानी

(2) निगरानी प्रकरण क्रमांक 104–तीन/2010 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–7–2009 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 24/2008–09 निगरानी

(1) निगरानी प्रकरण क्रमांक 1515–तीन/2009 के पक्षकार

विष्णु सिंघल पुत्र शॅभूदयाल सिंघल
मोहल्ला पापूजी श्योपुर म0प्र0 ---आवेदक

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर श्योपुर ---असल अनावेदक
2– अहसान पुत्र इमामद्धीन जेल के पीछे श्योपुर
3– केदार पुत्र गुलाब चन्द हरदेनिया
मेन मार्केट हरदेनिया एजेंशी श्योपुर
4– अशोककुमार पुत्र निधिचंद राठौर
क्लार्क जिला कोषालय श्योपुर
5– जगदीश पुत्र रामप्रसाद राठौर
न्गरपालिका के पास श्योपुर ---फार्मल अनावेदकगण

(2) निगरानी प्रकरण क्रमांक 104–तीन/2010 के पक्षकार

1– केदार पुत्र गुलाब चन्द हरदेनिया
मेन मार्केट हरदेनिया एजेंशी श्योपुर
2– अहसान पुत्र इमामद्धीन जेल के पीछे श्योपुर ---आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर श्योपुर ---असल अनावेदक
1– अशोककुमार पुत्र निधिचंद राठौर
क्लार्क जिला कोषालय श्योपुर
2– जगदीश पुत्र रामप्रसाद राठौर
नगरपालिका के पास श्योपुर
5– विष्णु सिंघल पुत्र शॅभूदयाल सिंघल
मोहल्ला पापूजी श्योपुर म0प्र0 -- फार्मल अनावेदकगण

निगरानी प्र0क0 1515-तीन/09के अभिभाषक
(आवेदक के अभिभाषक श्री आशीष भदौरिया)
(असल अनावेदक 1 के पैनल लायर श्री डी.के.शुक्ला)

निगरानी प्र0क0104-तीन/2010 के अभिभाषक
(आवेदकगण के अभिभाषक श्री अशोक भार्गव)
(असल अनावेदक 1 के पैनल लायर श्री डी.के.शुक्ला)

आ दे श
(आज दिनांक 20-1-2017 को पारित)

यह दो निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 24/2008-09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-7-2009 एंव प्रकरण कमांक 18/2008-09 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 30-7-10 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। दोनों निगरानी प्रकरणों से संलिप्त भूमियॉ एंव पक्षकार समान होने से एकसाथ निराकरण किया जा रहा है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम बगवाज जिला श्योपुर की भूमि सर्वे कमांक 561/1 मिन रकबा 11 वीघा (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) का भूदान पटटाधारी फागू पुत्र भवक था। इस पटटग्रहीता का पटटा निरस्त होने के उपरांत भूदान यज्ञ बोर्ड ने अहसान पुत्र इमामद्वीन को भूमि सर्वे कमांक 561 रकबा 2.299 हैक्टर का पटटा प्रदान किया। अहसान पुत्र इमामद्वीन ने भूमि विकय की अनुमति प्राप्त करके दिनांक 4-9-2003 को वादग्रस्त भूमि में से 2 वीघा भूमि केदार पुत्र गुलाब चन्द हरदेनिया को विकय कर दी। इस केता का नामान्तरण होने पर भूमि का अॅश भाग विष्णु सिंघल व्दारा कय किया गया। फागू पुत्र भवक के वारिसान ने कलेक्टर श्योपुर को आवेदन देकर

उनके पिता की भूमि अहसान पुत्र इमामद्धीन के नाम फर्जी करना बताया, जिस पर से कलेक्टर श्योपुर ने निगरानी प्रकरण कमांक 104-तीन/2010 के आवेदक एंव अनावेदक (शासन पक्ष को छोड़कर) के विरूद्व स्वमेव निगरानी कमांक 17 ए/2006-07 पंजीबद्व की एंव आदेश दिनांक 3-11-2006 पारित करके वादग्रस्त भूमि फर्जी तरीके से खसरों में प्रविष्टि करना मानकर शासकीय दर्ज करने के आदेश दिये। इसी आदेश से दुखी होकर यह दो निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा दोनों निगरानी प्रकरणों में आये तथ्यों का तथा अन्य अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4/ विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने तथा उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन उपरांत कलेक्टर श्योपुर के आदेश दिनॉक 3-11-06 तथा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना के आदेश दिनांक 30-7-10 के तथ्यों पर विचार करने पर यह स्थिति है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने आदेशों में यह माना है कि वादग्रस्त भूमि पर सर्वप्रथम अहसान पुत्र इमामद्धीन के नाम की फर्जी प्रविष्टि हुई एंव उसके व्दारा बिना अधिकार भूमि विक्रय करने पर क्रेतागण के नाम की प्रविष्टि हुई है। प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि यह सही है कि वादग्रस्त भूमि का भूदान पटटाग्रहीता फागू पुत्र भवक था किन्तु अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक12/1987-88 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-10-89 से फागू पुत्र भवक का पटटा निरस्त किया जाकर भूमि शासकीय दर्ज करा दी गई थी। भूमि शासकीय होने के वाद अहसान पुत्र इमामद्धीन की मॉग पर भूदान

यज्ञ बोर्ड ने पटटा क्रमांक 6458 स्वीकृति दिनांक 8-9-92 , वितरण दिनांक 23-8-92 से भूमि सर्वे क्रमांक 561 रकबा 2.299 हैक्टर का पटटा प्रदान किया है इस प्रकार अहसान पुत्र इमामद्धीन वादग्रस्त भूमि का पटटाग्रहीता है, जिसके कारण कलेक्टर श्योपुर व्दारा फागू पुत्र भवक के नाम की भूमि होना मानकर निगरानी प्रकरण क्रमांक 104-तीन/2010 के आवेदक एंव अनावेदक (शासन पक्ष को छोड़कर) के विरूद्ध स्वमेव निगंरानी क्रमांक 17 ए/2006-07 दर्ज करने में त्रृटि की है और इस तथ्य की ओर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग ने आदेश दि. 30-7-2009 पारित करते समय ध्यान न देने की भूल की है जिसके कारण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा पारित आदेश दोषपूर्ण है।

5/ प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट हुआ कि पटटाधारी अहसान पुत्र इमामद्धीन ने जरूरत होने पर वादग्रस्त भूमि में से 2 वीघा भूमि विक्रय की अनुमति आवेदन कलेक्टर श्योपुर को दिया है जिस पर से कलेक्टर श्योपुर ने प्रकरण क्रमांक 5/2002-03 अ-21 पॅजीबद्व करके तहसीलदार श्योपुर से जॉच प्रतिवेदन मॉगा है। तहसीलदार श्योपुर ने वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में एंव अहसान पुत्र इमामद्धीन के स्वत्व के सम्बन्ध में जॉचकर दिनॉक 20-4-2002 को प्रतिवेदन देते हुये भूमि विक्रय की अनुमति देने की अनुसॅशा की है जिस पर से कलेक्टर श्योपुर ने प्रकरण क्रमांक 5/2002-03 अ-21 में पारित आदेश दिनांक 9-6-1993 से विक्रय अनुमति प्रदान की है तथा सक्षम अनुमति उपरांत वादग्रस्त भूमि को केदार पुत्र गुलाब चन्द हरदेनिया ने क्रय करते हुये विक्रय पत्र संपादित कराया है और विक्रय पत्र के आधार पर इस केता का नामांत्रण हुआ है। इसी प्रकार निगरानी प्र.क्र.1515-तीन/09

के आवेदक विष्णु सिंघल ने पंजीकृत विक्रय पत्र से अॅश भूमि केदार पुत्र गुलाबचंद से क्रय की है। विचार योग्य है कि क्या विक्रय पत्र के आधार पर क्रय की गई भूमि को कलेक्टर स्वमेव निगरानी लेकर में शासकीय घोषित कर सकते हैं ? विक्रय पत्र को शून्य घोषित करने की शक्तियॉ राजस्व न्यायालय को नहीं है। शॉतिवाई विरूद्व जसरथ धोबी 2005 रा0नि0 45 एंव 1993(2) M.P.W.N. 174 सुप्रिम कोर्ट का न्याय दृष्टांत हैं कि राजस्व न्यायालय रजिस्ट्री विकीनामा को संदिग्ध मानकर केता के पक्ष में नामांतरण करने से अस्वीकार करने का अधिकार नहीं रखते हैं। इस प्रकार कलेक्टर श्योपुर का आदेश दिनॉक 3-11-2008 वास्तविकता के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना ने आदेश दिनांक 30-7-09 पारित करते समय उक्त तथ्यों की अनदेखी की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर दोनों निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 24/2008-09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-7-2009 एंव प्रकरण कमांक 18/2008-09 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 30-7-10 तथा कलेक्टर श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 17 ए/2006-07 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 3-11-2008 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा वादग्रसत भूमि कलेक्टर श्योपुर के आदेश दिनांक 3-11-2008 के पूर्व की स्थिति में पक्षकारों के नाम यथावत् दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर